राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण

क. राजस्व नीति का सिंहावलोकन

1. वित्त वर्ष 2010-11 का वार्षिक बजट उभरती हुई बाजार अर्थ व्यवस्थाओं के नेतृत्व में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधारात्मक संकेतों की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया था। तथापि उस वक्त भी अनिश्चितता बरकरार थी, विशेष कर यूरोप में, जहां कुछ देश कठिन राजकोषीय संकट से गुजर रहे थे और राजकीय ऋण की अदायगी की आंशका बृहतर होती जा रही थी। उभरती हुई अन्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत वर्ष 2009-10 में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में बना रहा। वर्ष 2009-10 के विकास के बारे में अद्यतन आंकड़े बताते हैं कि इस दौर में पहले के अनुमान (7.4 प्रतिशत) के बावजूद भारत ने बेहतर निष्पादन (विकास दर का 8 प्रतिशत) किया। इसके ब्यौरों को बृहद-आर्थिक संरचना विवरण में पढ़ा जा सकता है।

2. बजट 2010-11 की तैयारी इस अनिश्चयकारी स्थिति के दरम्यान की गई जिसमें एक ओर सरकार को मध्यम आवधिक रूप से अवहनीय उदार तथा विस्तारकारी उपायों को शुरु करना था वहीं दूसरी तरफ निर्गम नीति को इस सावधानी के साथ तैयार करना था कि वह सुधार के बीच में ही बहाली की प्रक्रिया को आघात न पहुंचाए। 2010-11 के प्रथमार्ध, जहां भारतीय अर्थव्यवस्था 8.9 प्रतिशत की दर पर विकासमान थी और पूरे वर्ष में जिसका 8.6 प्रतिशत पर वृद्धिरत रहना अनुमानित था, के निष्पादन में देखें तो यह साक्ष्य मिलते हैं कि सरकार की अनुक्रमिक निकासी की नीति ने यथावांछित परिणाम दिए यही नहीं यह सुधारोन्मुखी बहाली बहुत तीव्र और व्यापक आधार वाली थी।

3. बजट 2010-11 में मध्यम अवधि में राजकोषीय समेकन के पथ का सूत्रपात किया गया था और वर्ष 2009-10 में 6.5 प्रतिशत के स्तर से (प्रतिभूतियों के एवज में जारी बांडो को शामिल करते हुए) वर्ष 2010-11 में सघउ के 5.5 प्रतिशत तक लक्षित राजकोषीय घाटे के साथ समेकन प्रक्रिया का श्रीगणेश हुआ। यहां तक कि जब संसाधनों की मांग उच्च स्तर पर थी उस वक्त भी राजकोषीय घाटे को सघउ के 5.5 प्रतिशत दायरे के भीतर ही काबू रखने की अपनी वचनबद्धता पर सरकार कायम रही। वर्ष 2010-11 के दौरान 3जी और बीडब्ल्यूए नीलामी के जरिए उच्चतर कर-भिन्न राजस्व के साथ सरकार ने राजकोषीय घाटा लक्ष्यों को पार किए बिना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वित्तीय आबंटन बढ़ाने का निर्णय लिया।

4. अनुमानों से कहीं बेहतर कर राजस्व ने सघउ में उच्चतर वृद्धि में मदद की, वर्ष 2010-11 में राजकोषीय घाटा जो कि 13वें वित्त आयोग के राजकोषीय समेकन की रूपरेखा में 5.7 प्रतिशत संस्तुत था, की तुलना में वर्ष 2010-11 में राजकोषीय घाटे का 5.1 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। तथापि संकट अवधि के दौर में शुरू किए गए उपायों के साथ उच्चतर वास्तविक सघउ वृद्धि ने (मुद्रास्फीति के कारण) के फलस्वरूप सघउ-कर अनुपात के में गिरावट आई।

5. सकल कर सघउ अनुपात, जो कि वर्ष 2007-08 में पूरे समय 11.9 प्रतिशत की उंचाई पर ही बना रहा था, शुक्र है उच्च वृद्धि परक मार्ग पर चलायमान अर्थव्यवस्था का जो वर्ष 2008-09 में 10.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2009-10 में 9.5 पर आ गई। इसी समय सघउ के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय (सब्सिडियों के एवज में प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए) 2007-08 में 15.1 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 17.6 प्रतिशत तक बढ़ गया और 2009-10 में मंद होकर 15.7 पर जा पहुंचा। राजकोषीय खाते में संरचनागत असन्तुलन की समस्या के कारण होने वाले उच्च व्यय के साथ सघउ-कर अनुपात में गिरावट आई। यद्यपि इस असन्तुलन का एक हिस्सा चक्रीय प्रकृति का था, तथापि राजकोषीय घाटे में वृद्धि के एक व्यापक भाग से संरचनागत समस्याएं बड़ी हो सकती थी। सरकार ने गंभीरतापूर्वक इस मामले के निवारण का काम शुरू किया। एफआरबीएम अधिनियम और नियमों के तहत वर्ष 2013-14 तक अधिदेशित स्तर तक राजकोषीय घाटे को घटाने सम्बन्धी सरकार की कार्य योजना का ब्यौरा सरकार के मध्यम अवधिक राजकोषीय नीतिपरक कार्ययोजना में दिया गया है। तथापि सघउ के प्रतिशत के रूप में सरकार राजकोषीय घाटे का वर्ष 2009-10 (इसमें सब्सिडियों के एवज में प्रतिभूतियां शामिल हैं) में 5.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष सं.अ. 2010-11 में 3.4 प्रतिशत होने का अनुमान था। यह सुधार मोटे तौर पर 3जी और बीडब्ल्यूए नीलामी से होने वाली उच्चतर कर भिन्न प्राप्तियों के कारण ही हुआ। आगामी वित्त वर्ष में इस राजस्व स्रोत के अभाव के चलते, ब.अ. 2011-12 में राजस्व घाटे का सघउ का 3.4 प्रतिशत तक अचल रहने का अनुमान है। यह भी अनुमान है कि वर्ष 2013-14 तक सघउ की 2.1 प्रतिशत और गिरावट आ जाए। सं.अ. 2010-11 में राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत नियत लक्ष्यों से अधिक रहा है। एफआरबीएम अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत इस विचलन को वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के घटनाक्रमों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। 2010-11 से राजकोषीय समेकन के पथ पर वापस लौटने के सरकार के निर्णय के साथ ही यह अनुमान है कि राजकोषीय घाटा वर्ष 2008-09 में 7.8 प्रतिशत (तेल एवं उर्वरक बांड को शामिल करते हुए) से घटकर ब.अ. 2011-12 में 4.6 प्रतिशत हो जाएगा। एमटीएफपी विवरण के अन्तर्गत राजकोषीय घाटे के पूर्वानुमान 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों में किंचित सुधारों को दर्शाते हैं।

6. स्मरणीय है कि सरकार ने तेल तथा उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के एवज में सरकारी प्रतिभूतियां जारी करने से बचने का प्रयास किया है। बांड के बजाए धन के रूप में सब्सिडी देने का यह रुझान आगामी वर्षों में बरकरार रहेगा इसके द्वारा सरकार राजकोषीय परिगणना में सभी सब्सिडी से जुड़ी देनदारियों को लिया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए चुनिंदा पेट्रोलियम उत्पादों में कम वसूलियों के लिए तेल कम्पनियों को क्षतिपूर्ति हेतु 20,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

7. बजट 2011-12 ऐसी पृष्ठभूमि में पेश किया जा रहा है जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास बहाली के मार्ग पर वापस आ रही है। तथापि, बढ़ती मुद्रास्फीति जो अप्रिय बनी रही है, उसका समाधान इस बजट के जरिए नीतिगत तथा प्रशासनिक उपायों के जरिए होना है। एक ओर सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि सुधार प्रक्रिया की उस निरन्तरता को नीतिगत कार्रवाइयों के जरिए सहायता प्रदान की जाएगी और साथ ही विकास प्रक्रिया को मुद्रस्फीति पर बढ़ती चिन्ताओं से संतुलित करना होगा।

ख. 2011-12 हेतु राजकोषीय नीति

8. 2011-12 की राजकोषीय नीति, 2008-09 और 2009-10 में संकट अवधि दौरान किए गए राजकोषीय विस्तार से क्रमिक समायोजन के सिद्धान्तों द्वारा मार्गनिर्देशित होती रहेगी। समायोजन पथ पर थोड़ा ही आगे बढ़ा गया है जब हम इसकी तुलना 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों से करते हैं। यह देखा जा सकता है कि राजकोषीय घाटे के सघउ के 5.1 प्रतिशत तथा 4.6 प्रतिशत होने का अनुमान है जबकि इसके 2010-11 तथा 2011-12 में क्रमशः 5.7 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत होना अनुमानित है। यह त्वरित समायोजन सरकार को तीव्र गति से सघउ अनुपात सम्बद्ध ऋण को घटाने में सरकार की मदद करेगा जिसके फलस्वरूप भविष्य में सरकारी राजस्व से अधिक संसाधन निर्मुक्त होकर ऋण शोधन के बजाय विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए उनका उपयोग होने में सहायता मिलेगी, व्याख्यायित त्वरित राजकोषीय समेकन के मार्ग पर आगे बढ़ने हेतु सरकार ने 2011-12 में व्यय सुधार पर अपना ध्यान केन्द्रित किया, स्प्रेक्ट्रम नीलामी से एक बारगी प्राप्तियों के अभाव में और सघउ अनुपात से सम्बद्ध केवल क्रमिक कर सुधार से राजकोषीय असंतुलन का संरचनात्मक स्वरूप समग्र व्यय पर नियंत्रण किए बिना नहीं सुधारा जा सकता।

9. सरकार का कुल व्यय 2009-10 में 15.7 प्रतिशत से घटकर सं.अ. 2010-11 में 15.4 प्रतिशत और ब.अ. 2011-12 में 14.0 प्रतिशत हो गया। सं.अ. 2010-11 में कुल व्यय में सम्भावित सुधार की अपेक्षा कम व्यय को सरकार के पास उपलब्ध अतिरिक्त राजस्व के परिप्रेक्ष्य में (3जी और बीडब्ल्यूए स्प्रेक्ट्रम नीलामी से सघउ के 1.3 प्रतिशत के क्रम में) देखा जा सकता है। ब.अ.2011-12 में तीव्र सुधार को प्राथमिकता क्षेत्रों में व्यय के पुनर्निधारण सहित और आयोजना व्यय के विकास को घटाने के सन्दर्भ में तैयार किया गया है। जबकि ब.अ.2011-12 में सघउ. के प्रतिशत के रूप में आयोजना व्यय लगभग सं.अ.2010-11 के स्तर पर बना रहा, वहीं आयोजना भिन्न व्यय सं.अ.2010-11 में 10.5 प्रतिशत से घटकर ब.अ. 2011-12 में 9.1 प्रतिशत हो गया। यह कटौती आंशिक रूप से सं.अ.2010-11 में कृषि ऋण माफी और ऋण राहत सुविधाओं, रक्षा कार्मिकों और शैक्षणिक संस्थाओं को एक अतिरिक्त वेतन बकायों के भुगतान के मद में निम्नतर अवशिष्ट वचनबद्धताओं तथा 2010-11 की तुलना में 2011-12 के लिए सब्सिडी व्यय (सघउ के प्रतिशत के रूप में) निम्नतर वृद्धि के कारण संभव की। कुल व्यय में कटौती राजकोषीय समायोजन मार्ग की कुंजी है और वर्ष के दौरान इस पर डटे रहना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

10. समग्र व्यय को अनुमानित स्तर से नीचे रखने के उद्देश्य से, सरकार ने सब्सिडी और अन्य सम्बन्धित मदों में व्यय की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कुछ निर्णय लिए हैं। उर्वरक सब्सिडी में पोषाहार आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की ओर बढ़ने तथा यूरिया के अधिकतम खुदरा मूल्य में वृद्धि के सरकार के निर्णय ने 2009-10 की तुलना में 2010-11 के दौरान उर्वरक सब्सिडी पर व्यय को काबू रखने में मदद मिली है। इसके साथ ही, एनबीएस व्यवस्था से कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा मिलने की सम्भावना है। उर्वरक उद्योग को खुला बनाने से भी इस क्षेत्र में नया निवेश आकर्षित होने की संभावना है। यूरिया छोड़कर अन्य उर्वरकों के लिए एनबीएस नीति की सफलतापूर्वक शुरूआत के आधार पर भारत एनबीएस का यूरिया के लिए भी विस्तार करने पर सक्रियता से विचार कर रही है। आयातित उर्वरकों पर निर्भरता कम करने लिए जैव और कार्बनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को भी बढ़ा देने का प्रस्ताव है। सब्सिडीकृत केरोसिन, एलपीजी तथा उर्वरक के अपवर्तन को रोकने और अधिक कार्यकुशलता, लागत में कमी तथा बेहतर सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए सरकार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को चरणबध्द तरीके से सीधे नकद सब्सिड़ी देने की और रुख करेगी।

11. पेट्रोलियम सब्सिडी के यौक्तिकीकरण के संबंध में, सरकार ने पहले ही पेट्रोलियम के मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण हटा दिया है। पिछली प्रथा से हटकर सरकार ने 2009-10 से प्रतिभूतियों के स्थान पर नकद में तेल विपणन कंपनियों की अल्प वसूलियों के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी देना आरंभ किया है।

12. सरकार के राजस्व व्यय के बेहतर प्रस्तुतिकरण की दिशा में, ब.अ. 2011-12 से शुरु करके यह दर्शाने के लिए आंकड़ों का मिलान किया जा रहा है कि केन्द्र के राजस्व व्यय का कितना हिस्सा सरकार के अन्य स्तरों तथा अन्य अनुदान प्राप्त करने वाले निकायों को पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में है। यह सूचना राजस्व खाते में प्रभावी असंतुलन, जिसका सरकार

को वांछित नीतिगत कार्यक्रमों और प्रशासनिक क्षमता से एक निश्चित समयसीमा में समाप्त करना चाहिए।

कर नीति

13. हाल के वर्षों में कर नीति कर-सघउ अनुपात बढ़ाने और राजकोषीय समेकन प्राप्त करने की आवश्यकता से निर्देशित रही है। इन वर्षों में, कर-सघउ अनुपात में 2003-04 में 9.2 प्रतिशत से 2007-08 में 11.9 प्रतिशत का उल्लेखनीय सुधार हुआ। इसे कर ढांचे के यौक्तिकीकरण (साधारण स्तर और कुछेक दरें), कराधार का व्यापकीकरण और कर प्रशासन में सुधार के जरिए अनुपालन लागतों में कमी लाकर हासिल किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों के व्यापक अंगीकरण तथा कारोबारी प्रक्रियाओं की रि-इंजीनियरिंग ने भी एक कम हस्तक्षेपक कर प्रणाली को आगे बढ़ाया दिया और स्वैच्छिक कर पालन को बढ़ावा दिया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप 2007-08 तक कर राजस्व में तेजी को बल मिला है और राजकोषीय समेकन में सहायता मिला है। तथापि 2008-09 और 2009-10 की संकट अवधि के दौरान समेकन की प्रक्रिया रूक गई थी और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक संकट के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए विभिन्न राजकोषीय और प्रशासनिक उपाय किए गए।

14. मुद्रास्फीति प्रबंधन के लिए नीतिगत उपायों के कारण और बाद में वृद्धि को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, सरकार को 2008-09 और 2009-10 के दौरान उत्पाद और सीमा शुल्कों से बड़ी मात्रा में राजस्व का परित्याग करना पड़ा। तथापि सकारात्मक पक्ष में, इन सक्रिय उपायों से, विशेषकर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में तीव्र और व्यापक पुरुरुद्धार में सहायता मिली है।

अप्रत्यक्ष कर

15. अप्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में सरकार की कार्ययोजना संबंधी प्राथमिकता कर आधार में विस्तार करके कर - सघउ अनुपात में और सुधार लाना, छूटों को हटाना और कर दरों में कमी करना बनी हुई है। करों की संख्या को युक्तिसंगत बनाकर कर प्रणाली में जटिलताओं को कम करना, दर छितराव में कमी लाना और प्रक्रिया को सरल करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, जिससे स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा दिया जा सके। क्रेडिट श्रृंखला की समग्रता बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है क्योंकि यह सोपानी प्रभाव को कम करता है और वैट प्रकार के कर की समग्र दक्षता में सुधार लाता है। वस्तुओं और सेवाओं के बीच अन्तर के मिटने से, यह समानरूप से महत्वपूर्ण है कि विसंगतियों और कर चोरियों को रोकने के लिए केन्द्रीय उत्पाद और सेवा के प्रावधानों में सामंजस्य लाया जाए।

16. मध्यमावधि में, इन उद्देश्यों को एक व्यापक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करके प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कर की संरचना और ढांचे को तैयार करने के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच पहले ही वार्ता चल रही है और केन्द्र सरकार का केन्द्र और राज्यों द्वारा जीएसटी को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार का संसद में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

17. इस बजट में कर प्रस्तावों के प्रति समग्र दृष्टिकोण इस मध्यवावधि उद्देश्य के सामंजस्य में है। विशिष्ट शब्दों में, आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राजकोषीय समेकन के मार्ग को आगे लेने के उद्देश्ययुक्त प्रस्तावों का सार नीचे दिया गया है :

केन्द्रीय उत्पाद शुल्कः

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की योग्यता दर में 4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक की वृद्धि

(ii) निम्नलिखित के द्वारा कर आधार का विस्तार -

क) लगभग 130 मदों, जो अब तक करयुक्त थी अथवा जिन पर सेनवेट क्रेडिट के बिना शुल्क की शूल्य दर प्रभार्य थी, पर 1 प्रतिशत यथामूल्य का सांकेतिक शुल्क लगाना।

ख) किसी ब्रांड नाम धारक से ब्रांड नाम से बेचे जाने वाले रेडिमेड वस्त्रों पर 10 प्रतिशत का अनिवार्य उत्पाद शुल्क लगाना।

(iii) कागज पर दर ढांचे का यौक्तिकीकरण और सेनवेट क्रेडिट की शिप-ब्रेकिंग यूनिटों के लिए उपलब्धता।

सीमा शुल्कः

(i) गुटिकाओं और परिष्कृत लौह धातु दोनों के लिए 20 प्रतिशत की एकसमान दर पर लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क में वृद्धि

(ii) 2 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत और 3 प्रतिशत के सीमा शुल्क दरों का 2.5 प्रतिशत की औसत दर पर यौक्तिकीकरण तथा वायुयान के लिए दर ढांचा।

सेवा करः

(i) कुछ अधिक सेवा श्रेणियों पर सेवा कर लगाना

(ii) बीमा, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, वाणिज्यिक प्रशिक्षण और कोचिंग, क्लब या एसोसिएशन आदि जैसी अनेक मौजूदा सेवा श्रेणियों के क्षेत्राधिकार में यौक्तिकीकरण;

(iii) मूल्यांकन प्रावधानों और आयात नियमों में यौक्तिकीकरण और

(iv) सेनवेट क्रेडिट स्कीम प्रावधानों का यौक्तिकीकरण विशेषकर शुल्क योग्य/कर योग्य तथा छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के बीच क्रेडिट के अनुभाजन के संबध में।

प्रत्यक्ष कर

18. केंद्र द्वारा संग्रहित कुल करों में प्रत्यक्ष करों का योगदान पिछले दशक में 1999-2000 में 33.8% से बढ़कर 2009-10 में 58.6% हो गया है।

19. प्रत्यक्ष करों में हुई भारी वृद्धि निम्नलिखित कार्यनीति पर

आधारित रही हैं:

(i) छूटों को कम करके और लाभ आधारित कटौतियों को हटाकर कर आधार विस्तृत करते हुए कर की कम दरें बनाए रखना।

(ii) बेहतर कर दाता सेवाएं मुहैया कराने और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए वर्धित निवारण स्तरों के लिए कर प्रशासन का सुदृढ़ीकरण।

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात् कर-संग्रहणों की इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग, विवरणियां इलेक्ट्रोनिक रुप से भरने, ईसीएस और रिफंड बैंकर्स के माध्यम से रिफंड जारी करना, संवीक्षा के लिए विवरणियों का कम्प्यूटर की सहायता से चयन, कर के लिए दायी विदेशी धन-प्रेषणों की इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिंग, कर दाताओं को आन लाइन रिपोर्टिंग एवं स्रोत पर कर कटौती की ई-मेलिंग आदि के व्यापक इस्तेमाल से आयकर विभाग में कारबार प्रक्रियाएं पुनः तैयार करना।

20. वर्ष 2010-11 के केन्द्रीय बजट में घोषणा की गई थी कि हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श करने के बाद सरकार 1 अप्रैल, 2011 से प्रत्यक्ष कर संहिता का क्रियान्वयन करेगी। इसके पश्चात् सरकार ने अगस्त, 2010 में संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक (डीटीसी) प्रस्तुत किया है। डीटीसी प्रत्यक्ष कर के सभी कानूनों को समाहित करता है और समेकित करता है, प्रत्यक्ष सक्रिय संभाषण का प्रयोग करके भाषा सरल बनाता है, संहिता की अनुसूची में करों की दरों का प्रस्ताव करके प्रत्यक्ष कर दरों में स्थिरता दर्शाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के लिए कराधान के उपबंधों को मजबूत करता है, कर दरों को और कम करता है, कर आधार को विस्तृत बनाने के लिए छूटों और कटौतियों में कमी लाता है तथा अग्रताप्राप्त क्षेत्रों के लिए लाभ आधारित कटौतियों के बदले निवेश आधारित कटौतियों को स्थान देता है। कर दाताओं, कर संबंधी परामर्श दाताओं के साथ-साथ कर प्रशासकों को नए उपबंधों तथा कार्यवाहियों से सामंजस्य स्थापित करने में मदद करने के लिए यह विधान 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है। इस समय वित्त संबंधी स्थायी समिती द्वारा संसद में इसकी जांच पड़ताल की जा रही है।

21. केन्द्रीय बजट 2011-12 में प्रमुख नीतिगत प्रस्ताव पिछली उपलब्धियों के समेकन और डीटीसी के निम्नलिखित उपबंधों के साथ सामंजस्य बनाने पर अभिप्रेत हैं:

(i) व्यष्टि कर दाताओं की सामान्य श्रेणी के लिए वैयक्तिक आयकर (पीआईटी) की छूट सीमा बढ़ाना। इससे अधिकांश व्यष्टि कर दाताओं की कर देनदारी कम हो जाएगी।

(ii) घरेलू कंपनियों के मामले में कारपोरेट आयकर (सीआईटी) पर लगने वाला अधिभार 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना। इससे समग्र कर (अधिभार और उपकर सहित) 33.2 प्रतिशत से कम होकर 32.4 प्रतिशत हो जाएगी। विदेशी कंपनियों के मामले मे अधिभार 2.5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है।

(iii) कंपनियों पर लगने वाली न्यूनतम वैकल्पिक दर (मैट) को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत करना। इससे मैट की प्रभावी दर (अधिभार और उपकर सहित) उसी स्तर पर बनी रहेगी।

(iv) सेज (एसईजेड) के विकासकर्ताओं और सेज में स्थित इकाइयों के मामले में न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) शुल्क लगाना। सेज विकासकर्ताओं के मामले में लाभांश वितरण कर (डीडीटी) भी लगाने का प्रस्ताव है।

(v) लाभ आधारित कटौतियों की तुलना में कर आधार बनाए रखने के लिए सीमित देनदारी भागीदारी (एलएलपी) पर वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) लगाने का प्रस्ताव करना।

22. अनुपालन भार कम करने तथा स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रशासनिक उपाय किए जाने के भी प्रस्ताव हैं। इनमें से कुछ का ब्यौरा नीचे दिया गया है;

(i) वेतनभोगी कर दाता जिन्हें आय का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, की श्रेणी अधिसूचित की जाएगी।

(ii) संभावित कराधान के कार्यक्षेत्र में आनेवाले करदाताओं के लिए एक नया सरल विवरण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा (60 लाख रुपए से कम कारोबार वाले व्यवसाय)

(iii) कर विवादों के शीघ्र निपटान के लिए निपटान आयोग के तीन बेंच स्थापित किए जाएंगे।

(iv) कर विवादों की कर प्रभाव सीमा जिस पर सरकार उच्च न्यायालयों में याचिका नहीं लगाएगी, को बढ़ा दिया गया है।

(v) अन्य देशों के साथ सूचना के आदान प्रदान के लिए प्रशासनिक के साथ साथ कानूनी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी पहलें इस प्रकार हैं:

(i) बेंगलुरु में केंद्रीकृत प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) अब प्रतिदिन 1.5 लाख विवरण प्रोसेस कर रहा है। मानेसर और पुणे में दो नए सीपीसी मई, 2011 तक कार्य शुरु कर देंगे। अन्य सीपीसी कोलकाता में 2011-12 में स्थापित किया जाएगा।

(ii) आयकर सेवा केन्द्र (एएसके) नामक तीन करदाता सहायक केन्द्र पहले से कार्यरत हैं। आठ एएसके 2010-11 में कार्य शुरु कर देंगे जबकि 50 एएसके 2011-12 में स्थापित किए जाएंगे।

(iii) एक वेब आधारित सुविधा जो करदाताओं को प्रदत्त करों की सूचना देने तथा वापसियों और क्रेडिट का पता लगाने के लिए प्रत्यक्ष संपर्क मुहैया कराएगी, 2011-12 में स्थापित की जाएगी।

आकस्मिक और अन्य देनदारियां

23. एअफआरबीएम अधिनियम में केनद्र् सरकार को गारंटियों के रूप में आकस्मिक देनदारियों की कल्पना करने के लिए

वार्षिक लक्ष्य को विनिर्दिष्ट करने का अधिदेश दिया गया है। तदनुसार, एफआरबीएम अधिनियम में किसी वित्तीय वर्ष में उन गारंटियों की मात्रा जिन्हें केन्द्र सरकार किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कल्पित कर सकती है, पर सघउ के 0.5 प्रतिशत की सीमा निर्धारित कर सकती है।

केन्द्र सरकार मुख्यतः बहुपक्षीय/द्वीपक्षीय एजेंसियों से ऋण पर बांड निर्गमों तथा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा जुटाए गए अन्य ऋणों पर गारंटियां प्रदान करती हैं।

24. आकस्मिक देयताओं के बेहतर प्रबन्धन को प्रोत्साहन देने हेतु, सारकार की गारंटी नीति तैयार की गयी है और 2010-11 के दौरान इसे जारी किया गया। इसमें विभिन्न सिद्धान्तों की व्यवस्था की गयी है जिसे सरकारी गारंटियों के रूप में नई आकस्मिक देयताओं से पहले अनुसरित किए जाने की आवश्यकता है। इन सिद्धान्तों में अन्य बातों के साथ-साथ जोखिम प्रकटन सीमा हेतु गारंटियों पर सांस्थानिक सीमाएं तथा बजटीय सहायता अथवा सुविधा के अन्य रूपों की तुलना में गारंटी अपेक्षा शामिल है। जोखिम सम्भावना की प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा कारगर बनाने हेतु अतिरिक्त उपायों में जोखिम आधारित प्रीमियमों में जानबूझकर चूक की स्थिति में अप्रोत्साहन, सरकार द्वारा जोखिम की केवल आंशिक भागीदारी तथा बेंचमार्क्ड सरकारी प्रतिभूतियों की दर के सन्निकट गारंटीशुदा ऋण लागत आग्रह शामिल हैं।

25. सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियों के रूप में आकस्मिक देयताओं का स्टॉक समग्र रूप में 2004-05 में एफआरबीएम अधिनियम व्यवस्था के प्रारम्भ से, 1,07,957 करोड़ रुपए से बढ़कर 2009-10 के अन्त में 1,37,460 करोड़ रुपए हो गया। तथापि, स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में यह 2004-05 में 3.3 प्रतिशत से घटकर 2009-10 में 2.1 प्रतिशत हो गया। एफआरबीएम नियम, 2004 में यथानिर्धारित बकाया गारंटियों सम्बन्धी प्रकटन विवरण प्राप्ति बजट में अनुबन्ध 5 (iii) में संलग्न है।

26. 2009-10 के दौरान, गारंटियों में सकल वृद्धि 37,102 करोड़ रुपए थी जो स.घ.उ. का 0.6 प्रतिशत है। तथापि, 2009-10 के दौरान गारंटियों में निवल वृद्धि 24,126 करोड़ रुपए थी जो स.घ.उ. का 0.4 प्रतिशत है। 2009-10 में गारंटी के स्वरूप में आकस्मिक देयता का अनुमान एफआरबीएम नियम के अन्तर्गत निर्धारित स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशत के लक्ष्य की अपेक्षा अधिक था। यह विपथन आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि में अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के व्यापक हित के संदर्भ में, मांग में तेजी लाने और बहुपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त सहायता से अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं में वर्धित निवेश के कारण जरूरी हो गया। मध्यावधि में जबकि इसका सम्भाव्य बजटीय प्रभाव नहीं होगा अतिरिक्त निवेश अर्थव्यवस्था को उच्च विकास पथ पर आगे ले जाकर और उच्च राजस्व प्राप्ति में सहयोग प्रदान कर उसकी पुनःबहाली में योगदान देगा।

सरकारी उधार, ऋण तथा निवेश

27. वित्त मंत्री ने अपने 2010-11 के बजट भाषण में एक अध्ययन पत्र लाने की मंशा से अवगत कराया है जिसमें सरकार की ऋण स्थिति का विस्तृत विश्लेषण और समग्र लोक ऋण में कटौती हेतु रोडमैप की व्यवस्था होगी। तदनुसार, नवम्बर, 2010 में ''सरकारी ऋण-प्रास्थिति तथा आगे की कार्रवाई'' नामक एक दस्तावेज केन्द्रीय सरकार के ऋण के विस्तृत विश्लेषण के साथ प्रकाशित किया गया है। साथ ही, 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान, केन्द्र सरकार के स.घ.उ. के प्रतिशत के रुप में समग्र ऋण में कटौती का एक सुविचारित रोडपैम भी तैयार किया गया है।

28. सरकार की अपने घाटे के वित्त पोषण हेतु उधार लेने की नीति निम्नलिखित सिद्धान्तों पर सतत यथावत बनी रहेगी, अर्थात् (i) विदेशी ऋण के मुकाबले घरेलू सुधारों पर अधिक निर्भरता, (ii) प्रशासित ब्याज दरों वाले लिखतों की तुलना में बाजार उधारों को तरज़ीह (iii) ऋण पोर्टफोलियो का समेकन और (iv) द्वितीयक बाजार में नकदी सुधार हेतु सरकारी प्रतिभूतियों हेतु ठोस और व्यापक बाजार का विकास।

29. सरकार की ऋण प्रबन्धन नीति का समग्र उद्देश्य निम्नतम सम्भाव्य दीर्घावधि उधार लागतों पर केन्द्र सरकार की वित्तपोषण आवश्यकता की पूर्ति करना है और साथ ही टिकाउ स्तरों के अन्तर्गत कुल ऋण को बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त , इसका उद्देश्य अच्छी कार्यप्रणाली के विकास तथा ऊर्जावान घरेलू बांड बाजार के विकास में सहायता प्रदान करना है।

30. 2010-11 के दौरान, दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सरकार के बाजार उधार ब.अ. 2010-11 में अनुमानित आवश्यकता के अन्तर्गत बने रहे। केन्द्र सरकार के सकल और निवल बाजार उधार (दिनांकित प्रतिभूतियां) ब.अ. 2010-11 में 4,57,183 करोड़ रुपए और 3,45,010 करोड़ रुपए अनुमानित था। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान (27 फरवरी, 2011 तक) दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल और निवल बाजार उधार क्रमशः 4,37,000 करोड़ रुपए और 3,25,414 करोड़ रुपए थे जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान ये क्रमशः 4,18,000 करोड़ रुपए और 3,65,411 करोड़ रुपए थे। इसमें एमएसएस से अपृथक की गयी राशि शामिल है। पिछले वर्ष के दौरान इसी अवधि में सकल और निवल बाजर उधार क्रमशः 4,46,000 करोड़ रुपए और 3,93,411 करोड़ रुपए थे।

31. 2010-2011 के दौरान (27 फरवरी, 2011 तक) के दौरान जारी दिनांकित प्रतिभूतियों की भारांश औसत परिपक्वता 11.62 वर्ष है जो 2009-10 की इसी अवधि में मौजूद 11.16 वर्षों से अधिक है। आय की तंगी के साथ-साथ ऊर्ध्वमुखी स्लोपिंग आय वर्ग की दर्शाते हुए, निर्गमन की भारांश औसत आय इसी अवधि के दौरान 2010-11 के दौरान 7.9 प्रतिशत पर उच्च थी जबकि 2009-10 में यह 7.2 प्रतिशत थी।

32. 2011-12 के लिए ऋण वित्त पोषण कार्य योजना मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार की सुखद नकदी स्थिति तथा अर्थव्यस्था में मौजूदा स्फीतिकारी प्रत्याशाओं को ध्यान में रखने के बाद तैयार की गयी। वित्तपोषण के अन्य संघटक सहित 4,12,817 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण दिनांकित प्रतिभूतियों के निगर्मन जरिए 3,43,000 करोड़ रुपए की सीमा तक (घाटे के 83 प्रतिशत की राशि तक) और एनएसएसएफ के मुकाबले जारी प्रतिभूतियों के जरिए 24,182 करोड़ रुपए (घाटे का 5.9 प्रतिशत), राजकोषीय हुंडियों के जरिए 15,000 करोड़ रुपए (घाटे का 3.6 प्रतिशत), विदेशी ऋण के 14,500 करोड़ रुपए (घाटे का 3.5 प्रतिशत), और मौजूदा वित्त वर्ष में अनुमानित नकद वापसी जरिए 20,000 करोड़ रुपए (घाटे का 4.8 प्रतिशत) किए जाने का प्रस्ताव है।

33. बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अन्तर्गत बकाया शेष 1 अप्रैल, 2010 की स्थिति के अनुसार 2,737 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2010-11 के अन्त में कोई शेष अनुमानित नहीं है। एमएसएस के अन्तर्गत निवल उपचय ब.अ. 2011-12 में 20,000 करोड़ रुपए होना अनुमानित है।

34. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) के अन्तर्गत प्राप्त विनिवेश प्राप्तियों के उपयोग सम्बन्धी नीति में बदलाव 2011-12 में जारी रहेगा। 2011-12 के दौरान प्राप्त विनिवेश प्राप्तियों का निर्धारण पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजक सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के वित्त पोषण प्रयोजनार्थ संसाधनों के रूप में किया गया है। तथापि, एनआईएफ के तहत 2008-09 तक की प्राप्तियों से किए गए निवेश से होने वाली आय को सामाजिक अवसंरचना के वित्तपोषण हेतु निरंतर उपयोग में लाया जाएगा और एनआईएफ की मूल निधि को समाप्त किए बिना व्यवहार्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को पूंजी उपलब्ध करायी जाएगी।

35. मिडिल आफिस ने लोक ऋण के सम्बन्ध में कई रिपोर्टों और सूचना का प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया है। निर्गमन सम्बन्धी लिखतों के चयन सहित ऋण निगर्मन कैलेंडर मिडिल आफिस तथा भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श कर तैयार किया जा रहा है। यथा समय यह प्रस्तावित ऋण प्रबन्धन कार्यालय में सम्मिलित हो जाएगा।

लोक व्यय प्रबंधन में पहल

36. चुनिंदा विभागों को अपने ''परिणाम फ्रेमवर्क (आरएम) दस्तावेज'' तैयार करने हेतु अधिदेशित किए जाने की पद्धति से परिणामों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना एक संस्था का रूप ले चुका है। इससे महत्वपूर्ण निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के रूप में मापे जाने योग्य परिणामों संबंधी ट्रैकिंग पर बल मिलता है। परिणाम फ्रेमवर्क इस प्रकार तैयार किया जाते है जिससे कि तिमाही मॉनिटरिंग संभव हो सके। वर्ष के दौरान आरएफ के साथ-साथ केपीआई के प्रति उपलब्धियों की समीक्षा सरकारी निष्पादन संबंधी समिति द्वारा की जा रही है और इस समीक्षा की रिपोर्ट प्रधानंत्री को आगे की कार्रवाई के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए, संबंधित मंत्री के जरिए प्रस्तुत की जा रही है। वर्ष के अन्त में आरएफ प्रणाली के तहत आने वाले सभी मंत्रालय/विभाग समीक्षा करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें केपीआई के रूप में सहमत लक्ष्यों में से हासिल उपलब्धियों की सूची होगी। ये परिणाम प्रत्येक वर्ष के 01 जून तक मंत्रिमंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे।

37. वर्ष के दौरान आयोजना व्यय की गति समान रखने और वर्ष के अंत में व्यय के आधिक्य से भी बचने हेतु पहल की गयी हैं। माह मार्च में व्यय के 33 प्रतिशत की चौथी तिमाही की अधिकतम सीमा के भीतर बजट आवंटन के 15 प्रतिशत तक सीमित करने की पद्धति लागू की जा रही है। तिमाही राजकोष नियंत्रण आधारित नकद और व्यय प्रबंधन प्रणाली जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मासिक व्यय आयोजना (एमईपी) तैयार करना शामिल होता है, का चुनिंदा अनुदान की माँगों में पालन किया जाना जारी रहेगा। बजटीय योजनाओं के निष्पादन के लिए पर्याप्त संसाधनों को सुनिश्चित कर आयोजना व्यय की गति सही रखने पर बल दिया जा रहा है।

38. केन्द्रीय आयोजना स्कीम मॉनिटरिंग प्रणाली (सीपीएसएमएस) उपयुक्त ऑन-लाइन प्रबंधन सूचना और निर्णय सहायता प्रणाली स्थापित करने के संबंध में एक पहल है। यह एमआईएस निधियों के अंतरण के साथ-साथ कार्यान्वयनकारी एजेन्सियों की सभी श्रेणियों के जरिए और कुछ मामलों में अंतिम लाभभोगियों तक उपयोग का पता लगाती है। संबंधित बैंक खातों में निधि के उपयोग और शेष की प्रास्थिति संबंधी सूचना की वास्तविक समय उपलब्धता से पर्याप्त निधियों के समय पर जारी करने के साथ बेहतर नकद प्रबंधन प्रणाली और वास्तविक आवश्यकता के बिना निधियों को जमा करने से बचने से सुविधा मिलेगी। उधार पर ली गई निधि की घटी हुई रखाव लागत सुनिश्चित करते समय यह जवाबदेही भी निर्धारित होगी कि लोग अपने संबंधित क्षेत्रों में किसी खास योजना के बारे में सूचना प्राप्त कर सकेंगे।

ग. नीति का मूल्यांकन

39. 2010-11 के दौरान अर्थव्यवस्था में विकास के साथ राजकोषीय निष्पादन फरवरी 2010 में प्रस्तुत बजट अनुमानों से बेहतर रहा है। जहां राजकोषीय घाटा ब.अ. 2010-11 के सघउ के 5.5 प्रतिशत से घटकर सं.अ. 2010-11 में 5.1 प्रतिशत अनुमानित है वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर का अनुमान ब.अ. 2010-11 के 8.5 प्रतिशत की तुलना में 8.6 प्रतिशत है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के नवीनतम अनुमानों के अनुसार 2010-11 में हुई वृद्धि को 2009-10 की 8 प्रतिशत वृद्धि से अधिक के रूप में देखा जाता है। 2010-11 में अनुमान से बेहतर निष्पादन के फलस्वरूप

विस्तारकारी उपायों से अंशशोधित निकासी के साथ राजकोषीय समेकन के लिए अपनाई गई कार्य योजना में विश्वास को पुनः बल मिला है। तथापि, मुद्रास्फीति संबंधी दबाव पर ध्यान केन्द्रित किया जाना है।

40. 2010-11 के आरम्भ में राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया 2008-09 और 2009-10 के दौरान देखे गए विचलनों के पश्चात् 2011-12 के दौरान जारी रखी जाएगी। हालांकि कर राजस्व आधार अब तक 2007-08 के स्तर तक नहीं पहुँच पाया है, फिर भी बेहतर कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति के रूप और विनिवेश प्राप्तियों की सहायता से व्यय संबंधी सुधार कर सरकार 2011-12 में अनुमानित राजकोषीय घाटे को घटाकर सघउ का 4.6 प्रतिशत कर सकती है। यह 13वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए 4.8 प्रतिशत के लक्ष्य से बेहतर है। इसके अलावा इसे 2012-13 में घटाकर सघउ का 4.1 प्रतिशत और 2013-14 में 3.5 प्रतिशत करने का अनुमान है। राजकोषीय समेकन पर सुझाए गए रोडमैप से कर-सघउ अनुपात को 2009-10 के 48.1 प्रतिशत से घटाकर ब.अ. 2011-12 में 44.2 प्रतिशत करने में सहायता मिलेगी। 13वें वित्त आयोग द्वारा 2014-15 तक सघउ के सिफारिश किए गए 44.8 प्रतिशत के ऋण स्तर के संदर्भ में ऋण सघउ अनुपात में यह कमी देखी जा सकती है।

41. तथापि, राजस्व अधिशेष हासिल करने में कठिनाइयाँ हैं। 2010-11 के राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण में इसकी विस्तार से व्याख्या की गई है। केन्द्र सरकार के राजस्व व्यय में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों और अन्य कार्यान्वयनकारी एजेन्सियों को जारी की गई राशि भी शामिल है। इनमें से कई योजनाओं के परिणाम राजस्व व्यय संबंधी परिणाम के स्वरूप के नहीं हैं। अधिकांश मामलों में ये योजनाएं मुख्यतया टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन के स्वरूप की हैं परन्तु ये परिसंपत्तियां केन्द्र सरकार के स्वमित्व की नहीं है। इसलिए, राजस्व और पूंजी खाते के तकनीकी वर्गीकरण में केन्द्र सरकार इन स्कीमों पर व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में दिखाने में असमर्थ है। उदारणार्थ ये स्कीमें हैं - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम आदि। इन वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित तथा राज्यों/स्वायत्त निकायों द्वारा क्रियान्वित ऐसी कई स्कीमों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप केन्द्र से राज्यों/स्वायत्त निकायों अंतरित किए जाने वाली निधियों में काफी वृद्धि हुई है जिससे राजस्व व्यय अधिक हुआ है। यद्यपि, इन राजस्व व्ययों को गैर उत्पादनकारी स्वरूप का नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत, ये अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करते हैं। इस वर्ष के आरंभ से व्यय बजट खण्ड 1 में एक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है जो सकार के विभिन्न टीयरों को दिए जाने वाले सभी ऐसे अनुदानों का मिलान करता है, जिन्हें पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन में प्रयुक्त किया जाता है। ऐसी मदों पर कुल व्यय सघउ. के लगभग 1.5 प्रतिशत के स्तर पर अधिक है। यह प्रतिबिम्बित करता है कि सरकारी राजस्व घाटे का आधा हिस्सा इन अनुदानों का होता है और इसलिए सरकार का प्रभावी राजस्व घाटा 2011-12 में सघउ का 1.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सरकार का यह प्रयास होगा कि मध्यावधि में राजस्व घाटे के इस घटक को खत्म किया जाए।